न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27/2022 नामान्तरकरण अपील

1. प्रेम कंवर पत्नि स्व. लक्ष्मणसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
3. गोवर्धनसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह
4. सीमा कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह
5. श्याम कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह
6. सोना कंवर पुत्री स्व. सदुल कंवर दोहिती लक्ष्मणसिंह
7. अन्नू कंवर पुत्री स्व. सदुल कंवर दोहिती लक्ष्मणसिंह
8. मीनू कंवर पुत्री स्व. सदुल कंवर दोहिती लक्ष्मणसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरावण्डा नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 25.05.2022 ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा

उपस्थिति :–: श्री गुड्डु सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक: 28.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा में साबिक खसरा नम्बर 145, 161, 163 स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 248, 250, 229 है। उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 145, 161, 163 की भूमि है। अपीलान्ट्स के पूर्वज लक्ष्मणसिंह पुत्र रामसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार मीना कंवर बेवा मूलसिंह व सुप्यारी बाई पुत्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी मोहचिंगपुरा से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.8.2007 को क्रय की गई थी। जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक सिकराय के यहां पंजीबद्ध हुआ था। विक्रय पत्र के पश्चात् अपीलान्ट्स के पूर्वज लक्ष्मणसिंह का स्वर्गवास हो गया। अपीलान्ट्स द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 31.8.2007 के आधार पर नामान्तरकरण खोलने व तस्दीक करने हेतु जिला भू अभिलेख अधिकारी दौसा को प्रार्थना पत्र दिनांक 15.7.2022 को दिया, जिस पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक 5037 दिनांक 15.7.2022 को तहसीलदार बहरावण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। जिस पर पटवारी हल्का ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 160 दिनांक 17.5.2022 को भरकर तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया, परन्तु तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनांक 25.5.2022 को इस नोट के साथ की पूर्व सेटलमेन्ट बेचान के आधार पर म्यूटेशन सक्षम न्यायालय के आदेश के स्वीकृत किया जाना चाहिये, नामान्तरकरण को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 25.5.2022 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा को मात्र विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिये था। अपीलान्ट्स के पूर्वज लक्ष्मण सिंह द्वारा उक्त भूमि के खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की गई है, परन्तु तहसीलदार बहरावण्डा ने अवैधानिक तरीके से गलत नोट लगाकर नामान्तरकरण खारिज कर दिया। तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व आई.एल. आर. की रिपोर्ट का अवलोकन ही नहीं किया, जबकि उन्होने विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत रूप से नामान्तरकरण खोला है। तहसीलदार को विक्रय पत्र की वैधानिकता पर ही गौर कर उसी के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिये था। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका भी नहीं दिया। इसलिये भी तहसीलदार बहरावण्डा का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। चूंकि क्रेता लक्ष्मणसिंह की मृत्यू हो गई है। लक्ष्मणसिंह के वारिसान उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवाना चाहते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा का उक्त आदेश दिनांक 25.5.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना था। विक्रय पत्र के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 145, 161, 163 में से लक्ष्मण सिंह पुत्र रामसिंह द्वारा मीना कंवर पत्नि मूलसिंह, सुप्यार बाई पुत्री मूलसिंह निवासी मोहचिंगपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2007 से भूमि क्रय की गई है। उक्त क्रेता लक्ष्मणसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में मृतक श्री लक्ष्मणसिंह के विधिक वारिसान की जांच कर प्रश्नगत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय की गई है। भूमि क्रय करने के पश्चात् क्रेता की मृत्यु होने पर अपीलान्ट्स विक्रय पत्र के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण खुलवाना चाहते है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व सबूत का अवसर भी नहीं दिया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 160 ग्राम मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं मृतक श्री लक्ष्मण सिंह के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में एवं नियमानुसार अन्य अपेक्षित जांच कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी न हो तो पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:40 IST
Reason: SelfAttested